

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल (म0प्र0)

क्रमांक 24 अ-82 / 16-17 भू-अर्जन / १८० बैतूल दिनांक ४ - 01-0218

ईश्तहार

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल जिला बैतूल (म0प्र0) द्वारा सरण्डई (गोराखार) जलाशय के बांध कार्य हेतु निजी भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम सरण्डई प0ह0न0 60 तहसील बैतूल जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बर की भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैं:-

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हेठो में	आवेदक द्वारा कय जाने वाला रकबा हेठो में	विभाग की विभाग द्वारा कय किया रकबा	धारक का नाम
1	2	3	4	5	
1	21	1.805	1.805	कालूराम, गोविंदराव, भीमराव व0 भैयाजी, शान्ता पिता भैयाजी कुन्ही साठोदेह	

अतएव आवेदक जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम सरण्डई तहसील बैतूल के उपरोक्तानुसार खसरा नम्बर की कुल 1.805 हेठो भूमि आपसी सहमति से कय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक १५-१८-२०१४ को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।

(शशांक मिश्र)
कलेक्टर,
बैतूल

पृ०को 24 अ-82 / वर्ष 16-17 / भू-अर्जन / १७०

बैतूल दिनांक ५ -01-2018

प्रतिलिपि:-

1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईश्तहार का प्रकाशन एक दैनिक एवं स्थानीय समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।

2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल को सूचनार्थ अग्रेषित। ईश्तहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चर्चा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।

4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु।

5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

6- तहसीलदार बैतूल की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति क्य की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चर्चा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।

7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

8- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सरण्डई तहसील बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०) की ओर ईश्तहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

अपरा कलेक्टर
बैतूल